बिहार सरकार

परिवहन विभाग
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
दूरभाष संख्या–0612–2546449

विज्ञापन संख्या–स0 सु0/लीड एजेन्सी (नि0)–05–23/2018.6560 दिनांक–11.10.18

नियोजन हेतु विज्ञापन–05/2018

(संशोधित)

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के अधीन गठित **"लीड एजेन्सी"** के लिए Office Superintendent, Accounts Assistant एवं Cashier के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में **आवेदन पत्र** आमंत्रित किए जाते हैं :–

| पद का नाम | पदों की संख्या | प्रतिमाह कुल वेतन | अधिकतम उम्र सीमा (01.10.2018 को) | शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Office Superintendent** | 1 (अनारक्षित) | रू0 45,000/– (पैंतालीस हजार रू0) (नियत) | उम्र–55 वर्ष | Full Time Regular MBA (Masters in Business Administration) or PGDM (Post Graduate Diploma in Management) in Human Resources/Personnel Management/ Office Management from a recognized University/Institution.<br>Should have Ten (10) years of Post Qualification Experience in Office Management/ Human Resources/Administration. |
| **Accounts Assistant** | 1 (अनारक्षित) | रू0 40,000/– (चालीस हजार रू0) (नियत) | उम्र–40 वर्ष | ICWA/CA (Intermediate-IPC) and Regular Full Time Bachelor's Degree in Commerce with 55% Marks plus Diploma in Computer Application(DCA)with Tally (ERP 9.0) Certification.<br>Should have minimum Three (3) years of Post Qualification experience in the field of accounts/Finance.<br>Must have a good Costing/Finance background and have good analytical skills. |
| **Cashier** | 3 (अनारक्षित–1) (अ.पि.वर्ग–1) (अनारक्षित महिला–1) | रू0 30,000/– (तीस हजार रू0) (नियत) | उम्र–55 वर्ष सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी हेतु–62 वर्ष | **Candidates:**<br>Candidate should have Full Time Regular Bachelor's Degree in Commerce with 60% Marks; Candidates must have good Excel & Tally knowledge<br>Candidate should have minimum Five (5) years of experience in the field of cash management. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **OR**<br>**Retired Government Employees:**<br>Retired Clerk/Cashier/Assistant with Experience of Handling Cash &Cashbooks in any State Govt. Organization of Bihar.<br>(The Educational Qualification does applies for Employees Retired from Government). |

शर्तें–

1. विज्ञापित पद का शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, मेधा अंक, कार्य दायित्व के विवरण एवं नियोजन के शर्तों की विस्तृत जानकारी **विभागीय वेब साइट www.transport.bih.nic.in** पर उपलब्ध है।
2. उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सरकार के सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य–सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।
3. आवेदन पत्र समर्पित करने की **अंतिम तिथि 26.10.2018 को अपराह्न 6.00 बजे** तक है। आवेदन पत्र स्वंय जमा करायें या रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट से भेजें। **अन्तिम तिथि एवं समय** के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायगा।

11/10/18

**सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य–सचिव,**
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्,
पटना।

fcgkj ljdkj

<u>ifjogu foHkkx]</u>

fcgkj lM+d lqj{kk ifj"kn~

fo'os'ojS;k Hkou] csyh jksM] iVukA

nwjHkk"k la[;k&0612&2546449

foKkiu la[;k&l0 la0@yhM ,tsUlh ¼fu0½&05&23@2018--------------

<u>vkosnu dk fofgr çi=</u>

**(Office Superintendent, Accounts Assistant ,o Cashier)**

| हाल का फोटो |
|---|

1. आवेदक का नामः–..........................................................................................
2. आवेदक के पिता/पति का नामः–..........................................................................
3. स्थायी पताः–..........................................................................................
..........................................................................................
4. पत्राचार का स्थानीय पताः–..........................................................................................
..........................................................................................
5. मोबाईल नं0ः–..........................................................................................
6. जन्म तिथिः–.......................................................दिनांक 01.10.2018 को उम्रः–..................................................
7. आरक्षण कोटिः–..........................................................................................
8. शैक्षणिक योग्यताः–..........................................................................................
9. तकनीकी योग्यताः–..........................................................................................
10. पद/वेतनमान (जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं)ः–..........................................................................................
11. पूर्व अनुभव (अवधि का नाम)ः–..........................................................................................
12. पुरस्कार/मेडल (यदि प्राप्त हुआ हो तो)ः–..........................................................................................
13. सेवा अवधि में कभी दण्डात्मक कार्रवाई हुई हो तो उसका विवरणः–..................................................
..........................................................................................
14. लंबित विभागीय कार्रवाईः–..........................................................................................
15. किसी Case में Conviction हुआ हो अथवा लंबित हो तो उसका विवरणः–..................................................
..........................................................................................
16. कार्य अनुभव का ब्यौराः–..........................................................................................

(uksV%&lHkh çek.k i= ¼'kS{kf.kd@vuqHko½ Loçekf.kr Nk;kçfr layXu djsa)A

<u>?kks"k.kk</u>

मैं..........................................................................................यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सारी जानकारी/सूचना सत्य है तथा इसे गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)

**नियोजन हेतु सामान्य शर्तें:—**

1. उक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन प्रथमतः तीन वर्षों के लिए की जायगी। उसके बाद उनके कार्यकलापों, आवश्यकता एवं उनकी सेवा संतोषजनक पाये जाने पर एक—एक वर्ष के लिए सेवा विस्तारित की जा सकेगी। सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के मामलें में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगा।
2. सेवा निवृत सरकारी पदाधिकारी के वेतन/मानदेय का निर्धारण बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा—निर्देश के अनुरूप किया जायगा।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायगा।
4. वैसे आवेदक जिन पर कोई आपराधिक मामला अथवा निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन हो; का चयन नहीं किया जायगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
6. अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सचिव, परिवहन विभाग—सह—सदस्य सचिव द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करते हुये अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
7. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि में उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश सचिव, परिवहन विभाग—सह—सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद, पटना द्वारा निर्गत किया जायगा।
9. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायगा।

6/3/19

सचिव, परिवहन विभाग—सह—सदस्य सचिव,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद,
पटना।